(51)

मानसिक विकलांगजनों के लिए "आश्रय गृह" के लिए मार्गदर्शिका।

वर्त्तमान में मानसिक विकलांगजनों के लिए सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का आश्रय गृह का संचालन नहीं किया जा रहा है। मानसिक विकलांगों के लिए सामान्य जीवन-निर्वाह करना अत्यन्त कठिन होता है। इन्हें विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। ऐसे लोगों को समाज में कई प्रकार की उपेक्षा भी झेलनी पड़ती है। इन्हीं बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए समाज कल्याण विभागाधीन सामाजिक सुरक्षा एवम् निःशक्तता निदेशालय द्वारा मानसिक विकलांगो के लिए "आश्रय गृह" का संचालन स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से किया जाना है।

प्रथम चरण में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012-13 हेतु मानसिक विकलांग पुरूषों के लिए मुगेंर तथा मुजफ्फरपुर जिलों में आश्रय गृह के संचालन किया जायेगा जिसे साकेत-मुगेंर तथा साकेत-मुजफ्फरपुर के नाम से जाना जायेगा। साथ ही मानसिक विकलांग महिलाओं के लिए पूर्णियॉ एवं नवादा जिलों में आश्रय गृह का संचालन किया जायेगा जिसे आशियाना-पूर्णियॉ तथा आशियाना-नवादा के नाम से जाना जायेगा।

इस गृह के संचालनार्थ आवश्यक पदों, संख्या एवम् उनकी न्यूनतम योग्यता तथा लाभार्थियों का चयन एवं स्वयंसेवी संस्थाओं की अर्हत्ता निम्नवत मापदंडों के अनुरूप किया जाना है:-

1. लाभार्थियों की पात्रताः- इस योजना का लाभ 18 वर्ष से ऊपर के मानसिक विकलांग व्यक्तियों को मिल सकता है जो बिल्कुल निराश्रित हों। 18 वर्ष से कम आयु के मानसिक विकलांग बच्चें/व्यक्ति को विभाग के अधीन संचालित बाल गृहों में आश्रित किया जायेगा तथा इनकी देख-रेख प्रशिक्षित कर्मियों द्वारा किया जायेगा। जिलाधिकारी अथवा सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा अनुशंसा की गई है उन्हें ही इस गृह में प्रवेश दिया जायेगा। बुजुर्ग अभिभावक के जीवित होने की स्थिति में उनके मानसिक विकलांग बच्चे को गृह में प्रवेश दिया जा सकता है।

- मानसिक विकलांगता का तात्पर्य हैः- स्वपरायणता, (Autism) प्रमस्तिष्क अंगघात, (Cerebral Palsy) मानसिक मंदता (Mental Retardation) तथा उससे संबंधित अन्य विकलांगता एवं बहुविकलांगता (Multiple Disabilities) आदि से ग्रसित बच्चे/व्यक्ति।
- आश्रय गृह में प्रवेश हेतु लाभार्थियों की उम्र न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए।
- लाभार्थियों के लिए आय की कोई अधिसीमा नही होगी। 50 से अधिक लाभार्थियों का नामांकन प्रस्ताव प्राप्त होने की स्थिति में अधिक प्रतिशत/गंभीर विकलांगता वाले लाभार्थी को प्राथमिकता दी जायगी।

101 (50)

- सक्षम प्राधिकार द्वारा विकलांगता प्रमाण–पत्र ही अनिवार्य दस्तावेज होगा।
- लाभार्थी कम–से–कम 10 (दस) साल से बिहार में निवास कर रहा हो।
- 50 प्रतिशत सीट सामान्यतः अति गंभीर विकलांगता वाले लाभार्थियों के लिए सुनिश्चित की जायेगी तथा शेष 50 प्रतिशत सीट Mild एवं Moderate विकलांगता वाले लाभार्थियों हेतु सामान्य रूप से आवंटित की जायेगी।

2. **स्वयंसेवी संस्थाओं की अर्हत्ता:–**

(1) निबंधित न्यास (Trust) फाउन्डेशन या सोसाइटी एक्ट 1860 के तहत निबंधित संस्था (इस संदर्भ में संस्था, ट्रस्ट, फाउन्डेशन निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 की धारा 52 के तहत निबंधित संस्था अथवा राष्ट्रीय न्यास (National Trust) के तहत निबंधित संस्थाओं/ट्रस्ट/फाउन्डेशन को प्राथमिकता दी जायगी)।

(3) संस्था का विगत तीन वर्षों का अंकेक्षण प्रतिवेदन (Audit Report) हो।

(4) संस्था का तीन वर्षों का वार्षिक प्रतिवेदन (Annual Report) हो।

(5) संस्था के पास आधारभूत संरचना के रूप मकान, (अपना अथवा किराये का) उपलब्ध हो। अपना भवन/मकान होने की स्थिति में प्राथमिकता दी जा सकती है।

(6) संस्थाओं के पास यथासंभव प्रशिक्षित कर्मी उपलब्ध हों अर्थात वे भारतीय पुनर्वास परिषद् (Rehabilition of India) के मापदंडों के अनुरूप प्रशिक्षित हों तथा भारतीय पुनर्वास परिषद (RCI) से निबंधित हों।

(7) विकलांगता प्रक्षेत्र विशेषकर मानसिक विकलांगता में कार्य अनुभव (विस्तृत आलेख सहित)।

(8) संस्था आयकर अधिनियम के तहत निबंधित हो।

(9) संस्था पूर्व से भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा अनुदानित है या नहीं।

(10) संस्था के पास संभावित लाभार्थियों के संबंध में जानकारियाँ उपलब्ध है या नहीं।

उपरोक्त अंकित बिन्दुओं के आधार पर सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय स्वयंसेवी संस्थाओं के चयन हेतु विज्ञापन प्रकाशित करेगा, जिस पर विभागीय चयन समिति के माध्यम से उपयुक्त संस्था का चयन किया जायगा।

चयनित संस्था का विभाग के साथ प्रथम चरण में एक साल के लिए अनुबंध किया जायगा।

3. भवनः–गृह संचालन हेतु न्यूनतम 9000 वर्गफीट (खुले स्थान के साथ) की भवन की उपलब्धता अनिवार्य होगी जो कि साफ–सुथरा एवं हवादार हो। यदि यह किराये के भवन में संचालित किया जाना हो तो स्वयंसेवी संस्था द्वारा किरायानामा (Rent Agreement) देना अनिवार्य होगा।

(4) सामान्य अनुदेशः–इस गृह के संचालन में निम्नांकित मूलभूत बिन्दुओं के अनुरूप कार्रवाई की जायगी:–

(५१)

1. महिलाओं के लिए गृह संचालन हेतु अधीक्षक, केयर गिभर्स, रसोईया, हाउस मेड, हेल्पर, स्वीपर एवम् धोबी के पदों पर महिलाओं की ही सेवा ली जायेगी। शेष पदों पर यथासंभव महिला उम्मीदवारों की उपलब्धता की स्थिति में उन्हें प्राथमिकता दी जा सकती है। पुरूषों के लिए संचालित किये जानेवाले गृह में महिला कर्मियों की सेवा की बाध्यता नहीं रहेगी।

2. गृह परिसर यथा संभव बाधा रहित (Barrier free) हो

3. सभी फर्नीचर गोलाकार आकृति के हों

4. बच्ची/महिलाओं के ध्यानाकर्षण एवम् मनोरंजन के आवश्यकतानुरूप कागज, पेंसिल एवम् कलर उपलब्ध कराया जायेगा

5. एक कमरे में यथा संभव मोटादरी के बिछाने की व्यवस्था होनी चाहिए

6. दिवाल लेखन, चित्रकारी के माध्यम से सामान्य ज्ञान की बातें आवासिनों को बताई जायेगी।

7. दैनिक कार्य कलापों के साथ –साथ सभी लाभार्थियों को Pre-Voactional एवं Voactional Trades का प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा इस हेतु उचित व्यावसायिक कार्यशाला (Voactional Work Station) यथा Spiral Binding, Acrylic Sheet binding, Printing, Packaging, इत्यादि की स्थापना आश्रय गृह में सुनिश्चित की जायेगी।

8. लाभार्थियों के शिक्षण/प्रशिक्षण एवं कुशल प्रर्दशन के आधार पर उन्हें समावेशी ढॉचा में व्यवस्थित करने का अवसर/सुविधा प्रदान किया जायेगा। यह प्रक्रिया दक्ष समिति समूह (Expert Group Committee) के निरीक्षण एवं अनुशंसा पर आधारित होगी। समिति का स्वरूप निम्नवत होगा:–

   सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग–अध्यक्ष।

   आश्रय गृह का अधीक्ष–सदस्य सचिव।

   चयनित गैर सरकारी संस्था के प्रतिनिधि–सदस्य।

9. आश्रय गृह में लाभार्थियों की आवश्यकताओं के अनुरूप यथासंभव अधिकतम तीन वर्षों तक रहने का प्रावधान होगा तथा प्रशिक्षित मानसिक विकलांगजनों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का प्रावधान किया जाना होगा। इस प्रकार नये लाभान्वितों को आश्रय गृह में प्रवेश हेतु अवसर दिया जायेगा।

(5) (i) शिक्षकों/कर्मियों की योग्यता एवम् प्रस्तावित मानदेय:–

क्र0	पद का नाम	पदों की संख्या	वांछित न्यूनतम योग्यता	मानदेय प्रति माह	संभावित वार्षिक लागत
1	2	3	4	5	6
1	अधीक्षक	01	i मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर (नैदानिक मनोविज्ञान में विशेषज्ञता)	15000/– प्रतिमाह	180000

			संस्थान में 2 वर्षों का कार्य अनुभव एवम् कम्प्यूटर का ज्ञान		
2	रसोईया	02	खाना पकाने का ज्ञान।	4,000/— प्रतिमाह	96000
3	हेल्पर	02	मैट्रिक	3,000/— प्रतिमाह	72000
4	स्वीपर	02		3,000/— प्रतिमाह	72000
5	धोबी (Washerman)	01		3,000/— प्रतिमाह	36000
6	नाई (अंशकालीन)	01		2800 प्रतिमाह (350/— प्रति भ्रमण, सप्ताह में दो बार)	33600
	कुल:—	08		23800/—	405600

नोटः— क्रमांक 2 से 5 तक के लिए शिक्षितों एवम् मानसिक विकलांगता के प्रति संवेदनशील यथासंभव प्रशिक्षित/अनुभवी महिलाओं को प्राथमिकता दी जायगी। यह प्राथमिकता महिलाओं हेतु आश्रय गृह के लिए ही होगा।

चयनित स्वयंसेवी संस्था इन्हीं मापदंडों एवम् योग्यता के आधार पर कर्मियों की सेवा गृह हेतु उपलब्ध करायेंगे। प्रत्येक पद के लिए न्यनतम आयु सीमा 21 वर्ष एवम् अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष होनी चाहिए।

मात्र अधीक्षक हेतु अधिकतम आयु सीमा 60 वर्ष तक हो सकती है।

(iv) गृह संचालन हेतु आवश्यक उपस्कर/उपकरणः—

क्र0	सामग्री	संख्या	मूल्य	कुल
1	विद्युत सामग्री			
	i ट्यूब लाईट	20	200	4000
	ii सीलिंग फैन	10	1200	12000
	iii इनर्भटर	02	18000	36000
	iv जेनरेटर	01	40000	40000
2	रिहैबिलिटेशन संबंधी उपकरण			संभावित 180000
	i अल्ट्रा साउण्ड	1		
	ii . इन्फ्रा रेड लैम्प	1		
	iii विभिन्न प्रकार के एक्सरसाईज संबंधी उपकरण	1—1 सेट		
	iv. स्पीच थेरापी मटेरियलस	1		
3	कार्यालय उपस्कर			
	i टेबुल	12	6000	72000
	ii कुर्सी	100	200	20000
	iii अलमीरा	50	10000	500000
	iv कम्प्यूटर सेट	2	27000	54000
	v प्रिंटर	2	8000	16000
	vi प्रोजेक्टर एवं स्क्रीन	1	75000	75000

			संस्थान में 2 वर्षों का कार्य अनुभव एवम् कम्प्यूटर का ज्ञान		
2	रसोईया	02	खाना पकाने का ज्ञान।	4,000/— प्रतिमाह	96000
3	हेल्पर	02	मैट्रिक	3,000/— प्रतिमाह	72000
4	स्वीपर	02		3,000/— प्रतिमाह	72000
5	धोबी (Washerman)	01		3,000/— प्रतिमाह	36000
6	नाई (अंशकालीन)	01		2800 प्रतिमाह (350/— प्रति भ्रमण, सप्ताह में दो बार)	33600
	कुलः—	08		23800/—	405600

नोटः— क्रमांक 2 से 5 तक के लिए शिक्षितों एवन् मानसिक विकलांगता के प्रति संवेदनशील यथासंभव प्रशिक्षित/अनुभवी महिलाओं को प्राथमिकता दी जायगी। यह प्राथमिकता महिलाओं हेतु आश्रय गृह के लिए ही होगा।

चयनित स्वयंसेवी संस्था इन्हीं मापदंडों एवम् योग्यता के आधार पर कर्मियों की सेवा गृह हेतु उपलब्ध करायेंगे। प्रत्येक पद के लिए न्यनतम आयु सीमा 21 वर्ष एवम् अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष होनी चाहिए।

मात्र अधीक्षक हेतु अधिकतम आयु सीमा 60 वर्ष तक हो सकती है।

(iv) गृह संचालन हेतु आवश्यक उपस्कर/उपकरणः—

क्र0	सामग्री	संख्या	मूल्य	कुल
1	विद्युत सामग्री			
	i ट्यूब लाईट	20	200	4000
	ii सीलिंग फैन	10	1200	12000
	iii इनर्भटर	02	18000	36000
	iv जेनरेटर	01	40000	40000
2	रिहैबिलिटेशन संबंधी उपकरण			संभावित 180000
	i अल्ट्रा साउण्ड	1		
	ii . इन्फा रेड लैम्प	1		
	iii विभिन्न प्रकार के एक्सरसाईज संबंधी उपकरण	1—1 सेट		
	iv. स्पीच थेरापी मटेरियलस	1		
3	कार्यालय उपस्कर			
	i टेबुल	12	6000	72000
	ii कुर्सी	100	200	20000
	iii अलमीरा	50	10000	500000
	iv कम्प्यूटर सेट	2	27000	54000
	v प्रिंटर	2	8000	16000
	vi प्रोजेक्टर एवं स्क्रीन	1	75000	75000

	vii डी0भी0डी0 प्लेयर			
	viii टी0वी0	2	5000	10000
	xi फीज	2	13000	26000
	x शिक्षण उपस्कर एवं अन्य		27000	27000
4	किचेन सामग्री			250000
	i भोजन निर्माणं उपकरण	1 सेट	30000	30000
	ii भोजन पड़ोसने का उपकरण	1 सेट	15000	15000
	iii शुद्ध पेय जल आपूर्ति यंत्र	2 सेट	16000	32000
	iv ईंधन, सिलेन्डर (Diposit)	20	900	18000
5	आवासन हेतु गोदरेज का बेड एवम् गद्दा, तकिया, बेडसीट सहित	50	10000	500000
6	सफाई सामग्री			
	i वाशिग मशीन	1	10000	10000
	ii आयरन	1	1500	1500
	कुलः–		314000	1928500

(v) दैनिक / मासिक आवश्यकता:–

क्र0	सामग्री	संख्या	दर	कुल
1	भोजन	50	1200 / –प्रति माह प्रति आवासी	720000
2	वस्त्र, जूता एवं चप्पल आदि	50	2500 / –प्रति वर्ष प्रति आवासी	100000
3	व्यक्तिगत साफ–सफाई साबुन, तेल, शैम्पू आदि 100 / आवासिन / माह	50	100 / –प्रति माह प्रति आवासी	60000
4	दवाई	50	500 / –प्रति माह प्रति आवासी	300000
5	i साबुन, सर्फ ii फिनाईल, झाड़ू, पोछा, बाल्टी		1000 प्रति माह	12000
			कुलः–	1192000

(vi) मकान भाड़ा:–

क्र0	सामग्री	संख्या	दर	मासिक किराय	कुल
1	मकान भाड़ा	9000 / –वर्गफुट	4 / – रू0 प्रति वर्ग फीट (खेल–कूद हेतु खाली स्थान छोड़कर)	36000	432000
			कुलः–	36000	432000

कुल संभावित वार्षिक लागत:–

(i) शिक्षकों / कर्मियों का मानदेय :–1332000

(ii) चिकित्सा कर्मी का मानदेय :–86400

(iii) कार्यालय हेतु कर्मी का मानदेय :–405600

(iv) गृह संचालन हेतु आवश्यक उपस्कर / उपकरण :–1928500

(v) दैनिक / मासिक आवश्यकता :–1192000

(vi) मकान भाड़ा:–432000

45

कुलः—5376500/—(तिरपन लाख छिहत्तर हजार पाँच सौ)।
एक आशियाना गृह के संचालन में कुल संभावित वार्षिक व्यय कुलः—5376500/—(तिरपन लाख छिहत्तर हजार पाँच सौ)।
चार आशियाना गृह के संचालन में कुल संभावित वार्षिक व्ययः—
4X5376500 = 21506000/— (दो करोड़ पन्द्रह लाख छः हजार)।
यथासम्भव व्यावहारिक आवश्यकता अनुभव के आलोक में वांछित निदेश विभाग द्वारा समय—समय पर निर्गत किया जायेगा।

(अनिरूद्ध प्रसाद सिंह)
निदेशक
सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता
निदेशालय, बिहार, पटना।

ज्ञापांक—2/सा0सु0—वि0यो0—03/2012 (खण्ड) स.क— 622 पटना, दिनांक—22/3/13
प्रतिलिपि—जिला पदाधिकारी/सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पूर्णियाँ एवं नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक

ज्ञापांक—2/सा0सु0—वि0यो0—03/2012 (खण्ड) स.क— 622 पटना, दिनांक—22/3/13
प्रतिलिपि—प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक